भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4369
19.07.2019 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

4369. एडवोकेट अदूर प्रकाशः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार तटीय क्षेत्रों में भौगोलिक के साथ-साथ वहां रहने वाले पारंपरिक समुदायों पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन का देशव्यापी अध्ययन करने पर विचार करेगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ.) देश के तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तटीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव मूल्यांकन हेतु निर्णय समर्थित प्रणाली विकसित करने पर कार्य कर रहा है। एनसीसीआर ने 1990-2018 की कालावधि के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्र भी तैयार किए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वार्षिक आधार पर भारतीय तट के साथ-साथ तटरेखा में परिवर्तनों की निगरानी भी रखता है। ये अध्ययन पैटर्न, अर्थात क्रमशः स्थल की ओर समुद्र की अभिमुखता (अपरदन), समुद्र की ओर स्थल की अभिमुखता (अभिवृद्धि) और स्थिर तटरेखा दर्शाते हैं। तटरेखा में ऐसे परिवर्तन उन दक्षिण भारतीय तटीय राज्यों, जिन्होंने स्थानीय मानव बस्तियों को प्रभावित किया है, के लिए देखे गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए तटीय सुरक्षा उपायों के लिए दिशानिर्देशों सहित तटीय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति प्रतिपादित की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) के तहत अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों सहित देश की समूची तटीय पट्टी के साथ-साथ जोखिम रेखा का चित्रण और सीमांकन किया है। यह जोखिम रेखा, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि होने सहित तटरेखा में परिवर्तनों का संकेतक है और समुद्र तल में वृद्धि होने के कारण और लंबी कालावधि में अर्थात लगभग 100 वर्षों में तटरेखा में हुए परिवर्तनों के प्रभावों का अनुमान है। यह रेखा अनुकूलन और उपशमन उपायों की योजना सहित तटीय पर्यावरण हेतु आपदा प्रबंधन के लिए एक उपाय के रूप में संबंधित तटीय राज्य अभिकरणों द्वारा उपयोग में लाई जानी अपेक्षित है। देश की समूची तटरेखा हेतु जोखिम रेखा को मानचित्रित किया गया है और यह मंत्रालय द्वारा तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अनुमोदित की गई नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में चित्रित हुई हैं।

आईसीजेडएमपी में तटरेखा परिवर्तनों से संबंद्ध जोखिमों का बड़े-पैमाने पर किया गया आकलन और इन जोखिमों का सामना करने के लिए प्रबंधन समाधानों का विकास करने के लिए कार्यढांचे को तैयार करना भी परिकल्पित किया गया है। इस परियोजना के चरण-I के तहत, प्रायोगिक आधार पर गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पांच (05) अभिज्ञात तटीय क्षेत्रों हेतु तट रेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई है।

*****